जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति की दिनांक 05.06.2021 को आहूत बैठक का कार्यवृत्तः—

शासनादेश संख्या—16/2021/948/छिहत्तर—1—2021—22सम/2019 दिनांक 19.03.2021 एवं प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन—1197/छिहत्तर—1—2021—25सम/2019 नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग—1 लखनऊ दिनांक 21 मई 2021 के अनुपालन में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत विरचित की जा रही पाइप पेयजल योजनाओं की स्वीकृति हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति की बैठक आज दिनांक 05.06.2021 को जिलाधिकारी महोदया एवं अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति, शामली की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे :—

1.	जिलाधिकारी महोदया, शामली।	अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
2.	मुख्य विकास अधिकारी महोदय, शामली।	उपाध्यक्ष
3.	अधिशासी अभियन्ता जल निगम, शामली	सदस्य सचिव
4.	जिला विकास अधिकारी शामली।	सदस्य
5.	प्रभागीय वनाधिकारी, शामली।	सदस्य
6.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शामली।	सदस्य
7.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शामली।	सदस्य
8.	अधिशासी अभियन्ता पूर्वी यमुना नहर, शामली।	सदस्य
9.	अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई, विभाग शामली।	सदस्य
10.	जिला कृषि अधिकारी, शामली।	सदस्य
11.	जिला सूचना अधिकारी, शामली।	संदस्य
12.	जिला पंचायत राज अधिकारी, शामली।	सदस्य (अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा नामित)
13.	श्री विजेन्द्र कौशिक, निर्माण प्रबन्धक, प्रतिनिधि जे0एम0सी0 प्रोजेक्ट एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0 जे0वी0 6वॉ तल, कल्पतरु सेनर्जी ग्राण्ड हॉयात होटल के सामने, सान्ताकूँज (ईस्ट), मुम्बई।	

सदस्य सचिव समिति एवं अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा समिति को अवगत कराया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च 2024 तक जनपद के सभी राजस्व ग्रामों में पाइप पेयजल योजना के माध्यम से प्रत्येक घर को जल संयोजन से लाभान्वित करते हुए ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। जनपद में 293 राजस्व ग्राम है जिनमें से 68 ग्रामों में पूर्व से पाइप पेयजल योजना संचालित है। **अवशेष 225 ग्रामों में नई पाइप पेयजल योजना बनाई जानी है जिसके प्राक्कलन विरचन एवं निर्माण हेतु मै0 जे0एम0सी0 प्रोजेक्ट एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0 जे0वी0 6वॉ तल, कल्पतरु सेनर्जी ग्राण्ड हॉयात होटल के सामने, सान्ताकूँज (ईस्ट), मुम्बई को अनुबन्धित किया गया है। फर्म द्वारा विकास खण्ड—ऊन के 11 ग्रामों की पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये है** प्रस्तुत प्राक्कलनों का विवरण निम्नानुसार है :—

S.No.	Name of Water Supply Scheme	Block	Total No. of Rev. Vill. included in estimate	No. of House Conncetion	Work Cost (Rs. in lacs	Centage (Rs. in Lacs)	Total Cost (Rs. in lacs)	Per Capita Cost (in Rs.) (Design Year 2052)
1	**BALLA MAZARA**	UN	1	701	262.01	29.24	291.25	4998
2	**TANA**	UN	1	1027	328.71	36.69	365.40	4519
3	**TODA**	UN	1	978	336.45	37.55	374.00	4493
4	**DATHERA**	UN	1	913	345.31	38.54	383.85	5152
5	**DHINDHALI**	UN	1	568	222.41	24.82	247.23	5516
6	**KHEDI KUSHNAAM**	UN	1	690	263.52	29.41	292.93	5868
7	**KHERTU**	UN	1	639	264.1	29.48	293.58	4961
8	**KABEERPUR**	UN	1	445	209.57	23.39	232.96	4530
9	**GUJJARPUR**	UN	1	381	187.02	20.87	207.89	5857
10	**KHERKI**	UN	1	355	183.08	20.43	203.51	5866
11	**KHORSAMA**	UN	1	689	293.04	32.71	325.75	5438
	Total		11	**7386**	**2895.22**	**323.13**	**3218.35**	

प्राक्कलन विचरन अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, 6–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ एवं समय–समय पर जल निगम द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार किया गया है। जारी गाइड लाइन के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :–

1– वाटर डिमान्ड की गणना हेतु 55 LPCD+15% unaccounted water को लिया जाये।

2– Population Projection हेतु आधार वर्ष 2022, मध्य वर्ष 2037 और डिजाइन वर्ष 2052 रखा जाये। विभिन्न Mathematical एवं Graphical माडल्स के आधार पर सर्वोच्तम एवं उचित जनसंख्या का चयन किया जाये।

3– नलकूप और पम्पिंग प्लान्ट के डिजाइन मध्य वर्ष (15 वर्ष) की वाटर डिमान्ड पर किया जाये।

4– अवर जलाशय की क्षमता की गणना मध्य वर्ष (15 वर्ष) पर Draw off पैटर्न पर की जाये।

5– सामान्यतः सोलर आधारित योजनायें निर्मित की जाये, जिस हेतु पम्पिंग Hours 6.5 लिया जाये।

6– वितरण प्रणाली मे न्यूनतम पाइप का व्यास 63 एम0एम0 रखा जाये एवं 200 एम0एम0 व्यास तक एच0डी0पी0इ0 पाइप एवं 200 एम0एम0 व्यास से अधिक हेतु डी0आई0 पाईप का प्रयोग किया जाये।

7– वितरण प्रणाली के डिजाइन हेतु न्यूनतम टर्मिनल प्रेशर 7.0 मी0 रखा जाये।

सदस्य सचिव द्वारा समिति को यह भी अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 में ली गई कार्यो की दरें SWSM द्वारा निर्गत दरों के आधार पर ली गई है। जारी गाइड लाइन के अनुसार योजनाओं की रु0 2 करोड़ से कम लागत की परियोजना की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (गा0क्षेत्र) उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद से तथा रु0 2 करोड़ से अधिक लागत की परियोजना की तकनीकी स्वीकृति अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, 6–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ द्वारा दी जानी है।

सदस्य सचिव एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 पर समिति द्वारा संज्ञान लिया गया तथा योजनाओं के विभिन्न पहलुओं पर विचार–विमर्श किया गया क्योकि प्रस्तुत सभी डी0पी0आर0 का मूल्य रु0 2 करोड़ से अधिक है। अतः इन्हे अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, 6–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया तथा फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि अवशेष ग्रामों की डी0पी0आर0 भी शीघ्र तैयार कर अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, शामली को उपलब्ध करा दे ताकि उनकी स्वीकृति हेतु निर्णय लिया जा सके।

अधिशासी अभियन्ता अस्थाई निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, शामली (सदस्य सचिव)	05/06/2021 प्रभागीय वनाधिकारी शामली (सदस्य)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी शामली (सदस्य)
अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई, विभाग शामली। (सदस्य)	जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी शामली (सदस्य)	अधिशासी अभियन्ता पूर्वी यमुना नहर, शामली (सदस्य)
05/06/21 जिला पंचायत राज अधिकारी, शामली (सदस्य)	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शामली (सदस्य)	जिला कृषि अधिकारी, शामली (सदस्य)
05.6.21 जिला विकास अधिकारी शामली (सदस्य)	5.6.21	मुख्य विकास अधिकारी शामली (उपाध्यक्ष)

जिलाधिकारी
(अध्यक्ष)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
शामली